

भाग-IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरे जाने के लिए

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जावे।	मुख्य वन संरक्षक, शिवपुरी वृत्त शिवपुरी द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार जिला शिवपुरी के अंतर्गत सनघटा (ऐर) उद्वहन सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु वनमण्डल, शिवपुरी के वनपरिक्षेत्र करैरा एवं पिछोर के वनखण्ड धमधोली, वीरा, देवरी, रूपेपुर के आरक्षित/संरक्षित कक्ष क्रमांक 289, 290, 291, 292, 293, P1074, P1075, P1076, P1077 एवं P1103 रकबा 349.00 हेक्टेयर वनभूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शिवपुरी को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	--

तिथि :-15/12/2021

स्थान :- भोपाल


(SUNIL AGRAWAL)
Addl. P.C.C.F. (L.M.)
Madhya Pradesh, Bhopal